

बिहार सरकार

केंद्रपाठ्यो
(शत प्रशिक्षित)

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक-1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-13/2009- 46

पटना-15, दिनांक- 3-9-12

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़) मात्र का बजट उपबंध किया गया है। उक्त उपबंधित राशि के विरुद्ध राशि की उपलब्धता के आधार पर कुल राशि 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

2- उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांग संख्या 11 के अंतर्गत योजना बजट शीर्ष '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0601 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति-3401 छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड संख्या- (2225032770601- योजना आयोग स्कीम कोड-0986 के अधीन विकलनीय होगा।

3- इस स्वीकृत राशि से राज्य के बाहर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जायेगी। इनकी स्वीकृति के पश्चात अगर राशि अवशेष रह तो उस राशि से राज्य के अंदर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जा सकती है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वे राशि को नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की स्वीकृति पूर्व से निर्गत विभागीय परिपत्रों एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देश के आलोक में की जायेगी।

7- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक 31.03.2013 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। वे संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजेंगे।

8- इस संबंध में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि परमार),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/योजना छात्रवृत्ति-08/2009- 46

पटना-15, दिनांक- 3-9-12

प्रतिलिपि- विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

विवरणी

द्वितीय वर्ष 2012-13 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि की विवरणी

(रु० लाख में)

| क्र० | जिला का नाम | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि |
|------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | पटना | 350.00 |
| 2 | नालंदा | 140.00 |
| 3 | रोहतास | 90.00 |
| 4 | भभुआ | 60.00 |
| 5 | भोजपुर | 80.00 |
| 6 | बक्सर | 60.00 |
| 7 | गया | 200.00 |
| 8 | जहानाबाद | 50.00 |
| 9 | अरवल | 30.00 |
| 10 | नवादा | 80.00 |
| 11 | औरंगाबाद | 80.00 |
| 12 | सारण | 100.00 |
| 13 | सिवान | 80.00 |
| 14 | गोपालगंज | 60.00 |
| 15 | मुजफ्फरपुर | 100.00 |
| 16 | सीतामढ़ी | 50.00 |
| 17 | शिवहर | 20.00 |
| 18 | प० चम्पारण | 80.00 |
| 19 | प० चम्पारण | 80.00 |
| 20 | वैशाली | 80.00 |
| 21 | दरभंगा | 90.00 |
| 22 | मधुबनी | 80.00 |
| 23 | समस्तीपुर | 80.00 |
| 24 | सहरसा | 60.00 |
| 25 | सुपौल | 40.00 |
| 26 | मधेपुरा | 80.00 |
| 27 | पूर्णियाँ | 60.00 |
| 28 | अररिया | 30.00 |
| 29 | किसनगंज | 30.00 |
| 30 | कटिहार | 50.00 |
| 31 | भागलपुर | 110.00 |
| 32 | बौका | 40.00 |
| 33 | मुँगेर | 80.00 |
| 34 | लखीसराय | 60.00 |
| 35 | शेखपुरा | 60.00 |
| 36 | जमुई | 60.00 |
| 37 | खगड़िया | 60.00 |
| 38 | बेगुसराय | 60.00 |
| | कुल योग | 3000.00 |

पत्रांक-46 दिनांक-3-9-12 का अनुलग्नक

(रवि प्रसन्न)
सरकार के सचिव।